International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 3, March - 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

निलहों का अत्याचार : चम्पारण सत्याग्रह के संबंध में

रश्मि किरण
शोधार्थी
स्नातकोत्तर इतिहास विभाग
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
मोबाईल नं0 – 8083209162
ई–मेल – rashmi21986@gmail.com

1916 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी एक मूक दर्शक की हैसियत से ही शरीक हुए थे, किन्तु वहीं उन्हें वह सूत्र मिला जिसके द्वारा वे बिहार के चम्पारण जिले में अपने 'सत्याग्रह' नामक अस्त्र का सफल प्रयोग किये। गांधी जी के नतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का यह पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित, दलित जनसमुह के जागरण तथा उन्मुक्ति पर बल देने के कारण सर्वथा अद्वितीय था। बाद में यही कृषक असंतोष भारतीय राजनीति का मूलमंत्र बना।[1]

दुनिया के इतिहास की अनेक अन्य क्रांतियों की तरह चम्पारण का आंदोलन शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था की भीषण बुराईयों के विरूद्ध असंतोष तथा प्रतिरोध का परिणाम था।[2]

अंग्रेज लोग करीब–करीब सौ वर्षों तक उस इलाके में नील की खेती किया, उन्होंने चंपारण जिले में नील बनाने के अनेकों कारखाने खोल रखे थे तथा अनेकों गाँवों की मालगुजारी वसूल करने का ठेका भी उनके पास था।[3]

यूरोपीय नीलहे दो तरीके से नील की खेती करते थे। (1) जीरात – इनके अन्तर्गत वे सीधे अपनी देख–रेख में अपने हल–बैल से नील की खेती कराते थे। (2) आसामीबार – इसमें कोठी वाला साहब रैयतों के द्वारा उन्हीं के खेत में नील की खेती कराते थे। इसमें "तीनकठिया प्रथा" चम्पारण में सबसे प्रचलित थी। दूसरे तरीके "खुशकी या कुरतौली" थे, जो चम्पारण में प्रायः प्रचलित था।[4]

राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है[8]– "किसी भी रैयत कि हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह नील बोने से इनकार करे। अगर कोई हिम्मत करता, तो उसके खेत में मवेशियों को चरा दिया जाता था, जुर्माना वसूल किया जाता, पीटा भी जाता।[7] इस डर के मारे प्रायः सभी रैयत तीन–कठिया मानकर बीघा पीछे तीन कट्ठा नील बो दिया करते।[5]

उनके खेतों में जो सबसे बेहतर खेत होते, नीलहे उन्हीं को चुनकर नील बोने के लिए कहते।[11] नील बोने का काम काश्तकारी को और सब कामों में पहले हीं पूरा करना होता था। जब नील तैयार हो जाता, तब उसे काटकर कोठी पर पहुँचा देना होता था। इसके लिए रैयत को वे कुछ बीघा पौधे दिया करते थे जो कभी खर्च के लिए भी पूरा नहीं होता।[6]

गवर्नमेन्ट के अफसर इन गोरों की मदद करते। अगर कोई अफसर हिम्मत करके इंसाफ करना चाहता तो नीलहे को अक्सर ऊपर के अफसरों पर इतना दबाव होता कि उस मातहत अफसर पर आफत आ जाती। जो अफसर सच्चे होते।[7] नीलवरो के जुल्म और तीनकठिया के खिलाफ रिपोर्ट भेजा करते, पर इससे कुछ होता जाता नहीं। कभी–कभी रैयत घबराकर बुलाकर कर देते या आपस में मिलकर कुछ दूसरे प्रकार का तहलका मचा देते।[8]

तब भी वे नीलवरो का मुकाबला कैसे कर सकते थे। नतीजा होता कि गाँव के गॉव लूट लिए जाते।[9] पुलिस और कचहरी मे अमलो की मदद से बेचारे रैयत हर तरह से जर कर दिये जाते।

नीलवरो का अत्याचार चरमसीमा पर था। कोई भी रैयत नीलवरो की कोठी के एक मील के अन्दर छाता खेलकर नहीं जा सकता था। प्रत्येक नीलवर पर्व–त्योहार के समय, कार खरीदने के समय, बंगले को मरम्मत कराते समय तथा अपने भैंस या घोड़ो के बूढ़े हो जाने पर

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 3, March - 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

प्रत्येक रैयत से एक रूपया वसूल किया करता था। अगर कोई रैयत अपनी पिता की मृत्यु के बाद जमीन का मालिक बनता तो निलहे उससे भी पाँच रूपये वसूल किया करते थे।[10]

न्याय का पक्ष ग्रहण करने की कुछ शक्तियाँ उदित हो रही थी। 13 मार्च 1913 को बाबू ब्रज किशोर प्रसाद ने बिहार, उड़ीसा लेजिस्लेटिव कौंसिल में चम्पारण समस्या को उठाया। मुख्य सचिव मैक्फर्सन ने यह बात स्वीकार की और समस्या के समाधान हेतु प्रयास का आश्वासन दिया।[11]

किन्तु इसके बावजूद भी कोई कारवाई नहीं की गई। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक बार पुनः 1915 से आरम्भ में लेजिस्लेटिव कौंसिल में यह प्रश्न उठाया कि – "क्या सरकार चम्पारण के रैयतो और प्लाण्टरों के बीच विवादो की स्वतंत्र एवं भली भांती जाँच कराने एवं समस्या के स्थायी समाधान को तत्पर थी।[12] सरकार की ओर से मुख्य सचिव मैकफर्सन ने कहा कि इस प्रश्न की जाँच हो रही है तथा सेटलमेंट अधिकारियों के रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।"

इस प्रकार इन सवालों को सरकार टालने की नीति अपनाये हुए थी। बाबू ब्रज किशोर प्रसाद ने अपनी यह माँग 10 अप्रैल, 1914 ई0 को बॉकीपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष पर से भी उठायी थी। उन्होंने कहा मेरे विचार से सरकार के लिए उचित होगा कि वह इतनी गंभीर समस्या की ओर से आँखें नहीं मूंद कर एक छोटी सी संयुक्त समिति की नियुक्ति करे। यही इस समस्या का समाधान खोजने का एक मात्र तरीका हो सकता है। समिति में सरकारी एवं गैर–सरकारी सदस्य हों।[13]

"समिति खुली जाँच करके पुरी तरह समस्या का अध्ययन करें एवं उस पर अनुशंसाएँ प्रस्तुत करे और सरकार उनका अनुपालन करावें अन्यथा मैं सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि आगे खतरा है और समय रहते इसकी ओर सर्तक होना सरकार के हित में होगा।" अगले वर्ष 3 अप्रैल 1915 की छपरा में आयोजित बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के मंच में भी यह बात उठायी गयी।[14]

7 अप्रैल 1915 को बाबू किशोर प्रसाद ने अपनी माँग को बिहार–उड़ीसा लेजिस्लेटिव कौंसिल में एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया। उसमें यह कहा गया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक 'समिति' गठित करें, जिसमें अधिकारी तथा गैर अधिकारी सदस्य हो जो यथाशीघ्र इस बात की जाँच करे कि चम्पारण के रैयतों तथा प्लाण्टरों के बीच सम्बंधो में कटुता का क्या कारण है? तथा उसके समाधान का सुझाव दें किन्तु अधिकारियों के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पारित न हो सका।[15]

चम्पारण की स्थिति पर समाचार पत्रों में भी लगातार निबन्ध प्रकाशित किये। कानपुर से प्रकाशित 'प्रताप' ने 29 नवम्बर 1914, 13 सितम्बर 1914 तथा 14 जनवरी 1915 के अपने अंक में चम्पारण की दुःखद स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा जनता से सशक्त आंदोलन करने की अपील की। इसी प्रकार की अपील इलाहाबाद से प्रकाशित "अभ्युदय" तथा कलकता से प्रकाशित "भारत मित्र" आदि अन्य पत्रों में भी प्रकाशित हुई।[16] शिक्षित– अशिक्षित वर्ग तथा समाचार पत्र के संपादको से अनुरोध किया गया था कि वे चम्पारण नीलहें गोरो के अत्याचारों से सम्बंधित प्रमाणिक जानकारी भेजने की कृपा करे।

चम्पारण में आंदोलन बढ़ता जा रहा था और नीलहे लोगों की सख्ती भी बढ़ती जा रही थी। श्री राजकुमार शुक्ल, एक मध्यम श्रेणी के किसान जिनको नीलहें लोगों ने बहुत सताया था इन आंदोलन के व्यापक रूप देने के लिए प्रयत्नशील थे। महात्मा गांधी का यश दक्षिण–अफ्रिका के सत्याग्रह की वजह से किसानो के बीच में फैल रहा था। यह खबर पाकर की महात्मा गांधी लखनऊ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं उनसे मिलने और उनको चम्पारण में बुला लाने के लिए श्री राजकुमार शुक्ल लखनऊ गये।[17]

लखनऊ में श्री ब्रजकिशोर प्रसाद भी वहाँ गये हुए थे। श्री राजकुमार शुक्ल के कथन पर महात्मा गांधी जी को विश्वास नहीं हुआ।[18] जिस तरह के अत्याचारों का होना चम्पारण में बताया जाता था वैसा अंग्रेजी राज्य बताया जाता था, इसी तरह की धारणा उनकी थी। पर जब बहुत अनुरोध किया गया, तब उन्होंने स्वीकार किया कि एक बार चम्पारण जायेंगे, साथ ही यह भी बताया कि मार्च या अप्रैल के महीने में कलकत्ता से लौटते वक्त चम्पारण अवश्य आयेंगे। श्री राजकुमार शुक्ल इस खुशखबरी को लेकर वापस आये और वहाँ के लोगों के बीच इस बात का प्रचार करना शुरू किया। इससे चम्पारण की जनता में एक नवीन आशा और उत्साह का संचार हुआ।[19]

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 3, March - 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन ब्रज किशोर प्रसाद ने चम्पारण के नीलहें साहबों एवं रैयतों के सम्बन्ध मे प्रस्ताव पेश किया कि "उतर बिहार में किसानों के असंतोष तथा नील के रैयतों और यूरोपीयन जमींदारो में तनाव की जाँच करने और उसे दूर करने के उपयों पर सुझाव देने के लिए सरकारी और गैर–सरकारी लोगों की एक समिति नियुक्ति की जाए।[20]

गांधी जी ने 3 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल को तार द्वारा सूचित किया कि वे कलकत्ता जा रहे हैं। वे वहाँ भूपेन्द्र नाथ बसु के मकान पर आकर उनसे मिले।[21]

शुक्ल तार पाकर कलकत्ता के लिए रवाना हो गये। गाँधी के कलकत्ता पहुँचने के पहले ही राजकुमार शुक्ल, भूपेन्द्र नाथ वसु के घर पर पहुँच गये।[22]

गांधी जी कलकता से 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुँचे। पटना में शुक्ल जी को राजेन्द्र बाबू से जान–पहचान थी। अतएव महात्मा गांधी जी को लेकर वे उनके ही डेरे पर चले आये। राजेन्द्र बाबू उस दिन पटना से कही बाहर (पुरी) गये हुए थे।[23]

उनकी गैरहाजरी में नौकरो ने महात्मा गांधी जी को एक मामूली देहती व्यक्ति समझकर वैसा ही व्यवहार किया। कुछ देर बाद जब मौलाना मजहरूल हक साहब को उनके आगमन की खबर लगी तब वे उन्हें अपने घर लिंबा ले गये।[24]

उधर गांधीजी के चम्पारण आगमन की सम्भावना पर सरकारी तंत्र सतर्कता बरत रहा था। चम्पारण के पुलिस सुपरिटेन्डेंट ने बिहार सरकार से पूछा था कि गांधी का राजनीति में क्या स्थान है? तथा वह गांधी के साथ कैसा व्यवहार करें। मजहरूल हक के आवास पर राय बहदुर, श्री कृष्ण सहाय, गांधीजी से मिलने आये। महात्मा जी उस दिन संध्या की गाड़ी से राजकुमार शुक्ल के साथ मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गये।[25]

कृपलानी जो मुजफ्फरपुर के बी0 बी0 कॉलेज में प्राध्यापक थे, उन्हें तार द्वारा पहले ही सूचना दे दी गयी थी । कृपलानी कॉलेज के छात्रावास में रहलेवाले छात्रों के साथ स्टेशन पर गांधीजी की प्रतीक्षा कर रहे थे।[26] स्टेशन पर गांधीजी की आरती उतारी गयी। गांधीजी ताँगे में बैठे जिसे कॉलेज के छात्र खींचकर कृपलानी के निवास स्थान तक ले गये। 12 अप्रैल को बिहार विशेष शाखा की सीले ने बिहार सरकार को एक तार द्वारा सूचित किया कि गांधीजी मुजफ्फपुर गये हैं तथा चम्पारण जाना चाहते है। मैंने चम्पारण के पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट को लिखा है कि सरकार की स्वीकृति के पूर्व गांधीजी के विरूद्ध कोई कार्यवाही न की जाय।[27]

बिहार आने का गांधीजी का उद्देश्य "चम्पारण के कृषकों की स्थिति की जाँच तथा नीलहें साहबों से उनकी क्या शिकायतें थी, इन बातों का अध्ययन करना था।[28]

गांधीजी ने तिरहुत संभाग के कमिश्नर से भी मिलकर अपनी बात स्पष्ट कर दी किन्तु तिरहुत संभाग के कमिश्नर एल. एफ. मोरशेड ने चम्पारण के जिलाधीश को संबोधित अपने 13 अप्रैल के पत्र में यह निर्देश दिया कि आज सुबह गांधीजी मुझसे मिले थे तथा चम्पारण में अपने जाँच की बात मुझसे की। मैने इस जाँच के फलस्वरूप चम्पारण में सम्भावित गड़बड़ी से उन्हें आगाह किया था तथा उनहें तिरहुत से जाने का आदेश दिया था, फिर भी वे चम्पारण जा रहे हैं, मैं तुम्हें यह निर्देश देता हूँ कि यदि वे चम्पारण में प्रवेश करते हैं तो तुम भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत उन्हें चम्पारण छोड़ने का निर्देश दो।[29]

चम्पारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में अनेक आंदोलन के सही होने की चेतना तथा नैतिक आस्था भर दी। किसी रचनात्मक क्रांति की प्रगति की सफलता के लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। गांधजी ने दक्षिण अफ्रिका में परिणत करने से जरा भी डरना नहीं चाहिए। जब हम धन की अपेक्षा सत्य को वैभव और शक्ति की शानबान की अपेक्षा निर्भीकता को तथा स्वार्थप्रेम की अपेक्षा उदारता को प्रश्रय देने लगेंगे तभी सही अर्थ में हम आध्यात्मिक बन सकेंगें।[30]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि रैयत वस्तुतः अपने को पूरे अर्थ में एक ऐसी गुलामी की जंजीरो से बाँध देता है जिससे निकलना उसके लिए असम्भव सा था। रैयतों के साथ पट्टा किया जाता था जो कोठी के रैयत नहीं होते उन्हें भी पट्टे के अनुसार प्रति बीघा खेत में से इकट्ठे में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 3, March - 2018
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

अथवा लंबी अवधि तक नील उपजाना होता था।[31] इसके लिए औपचारिक रूप से सट्टा के अनुसार उसे मूल्य प्राप्त करने का अधिकार होता था। इस प्रथा से निलहों को सर्वाधिक लाभ होता था।

जो लोग नील की कोठियों को देखे होंगे, व उनके संचालन धन–वैभव, भोग–विलास, ठाठ–बाट, शान–शौकत और करोबार से पूर्ण परिचित होंगे। उस समय उन्होंने कभी ऐसा अनुमान भी नहीं किया होगा कि एक समय ऐसा भी आयेगा, जब ये सदा के लिए समाप्त या मिट जायेंगे। आज भी कहीं पर टूटी–फूटी सड़कों और वृक्षों से आच्छादित नील कोठी के खण्डहर को देखकर सहज ही कोई इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि यहाँ कभी नील की कोठी रही होगी और वहाँ नील का कारखाना।

संदर्भ स्रोत :

1. प्रसाद, राजेन्द्र – आत्मकथा, साहित्य संसार, पटना, 1947, पृष्ठ 90
2. सर्च लाइट, 2 अक्टुबर, 1972
3. के0 के0 दत्ता – बिहार स्वातंत्रय आंदोलन का इतिहास भाग 1, पृ0 184–85
4. डॉ. के. के. दत्ता – बिहार स्वातंत्रय आंदोलन का इतिहास, भाग–1,अध्याय–2, बिहार हिन्दी ग्रंथ ऐकेडमी, पटना
5. राजेन्द्र प्रसाद, ' सत्याग्रह इन चम्पारण', पृ0 61–74
6. आत्मकथा, पृ0 414
7. 21वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्ट,पृ0 68
8. सिंह, अनुग्रह नारायण, मेरे संस्मरण, कुसुम प्रकाशन, पटना, 1961पृ0 24–25
9. रिपार्ट ऑफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस, लखनऊ, 26–30 दिसम्बर,1916,पृ0 68–69
10. चम्पारण के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की रिपोर्ट 25 अप्रैल, 1921
11. बिहार कांग्रेस रिपोर्ट, पी0 एस0 डी0 117 ऑफ 1921
12. प्रसाद राजेन्द्र, आत्मकथा, पृ. 136
13. के0 के0 दत्ता, गाँधीजी इन बिहार, पृ.77
14. प्रसाद राजेन्द्र, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, पृ.43
15. सिंह, मेरे संस्मरण, पृ. 45
16. प्रसाद राजेन्द्र, महात्मा गाँधी एण्ड बिहार, पृ.47
17. सिंह, ब्रजकिशोर, नील संर्घष और गाँधी, पृ. 80
18. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, 'सत्याग्रह इन चम्पारण', द्वितीय संस्करण, सितम्बर, 1941
19. पी0 सी0 राय चौधरी, 'बिहार डिस्ट्रिक्ट गजटियर्स चम्पारण', बिहार, पृ.1, 1960
20. एडवर्ड थार्नटन्स, गजेटियर्स, भाग–1, लंदन, 1954
21. राजेन्द्र प्रसाद, 'चम्पारण में गाँधी', पृ. 3, दिल्लीत्र 1954
22. वैदिक दन्डेक्स, भाग–2, पृ. 294

23. पी0 सी0 राय चौधरी, पूर्वोक्त, पृ.263
24. डी0 जी0 तेन्दुलकर, पृ. 1–22
25. विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त, 'चम्पारण और नील के धब्बे', (भारत के अहिंसा की पहली विपय), ग्रन्थ भंडार, पटना, 1963
26. प्रमोद सेन गुप्ता, 'नील विद्रोह'
27. विन्ध्याचल प्रसाद ग्रप्त, पूर्वोक्त
28. राजेन्द्र प्रसाद, 'चम्पारण मे महात्मा गाँधी' बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, 1965, पृ. 7–10
29. पी0 सी0 राय चौधरी, पूर्वोक्त, पृ. 83–84
30. राजेन्द्र प्रसाद, पूर्वोक्त, पृ. 11–20
31. अयोध्या सिंह, 'भारत का मुक्ति संग्राम', कलकता, पृ. 370–71